(3)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय [illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या [illegible] 72/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 28/7/17 को पत्रावली पेश हुई। पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलेंस है। अतः पत्रावली दिनांक 8/8/17 को पेश हो। आज दिनांक 8/8/17 को पत्रावली पेश हुई। पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलेंस है। अतः पत्रावली दिनांक 7/9/17 को पेश हो। आज दिनांक 7/9/17 को पत्रावली पेश हुई। पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलेंस है। अतः पत्रावली दिनांक 26/10/17 को पेश हो।	
13/02/20	पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश RAA/1149 दिनांक 08/07/2019 के द्वारा प्राप्त होने पर पेश हुई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 28/12/18 के अनुसार मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में आज तक नहीं निकाला जा सका है। किन्तु अपीलार्थी की अपील को उचित मानते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि वाद को रेस्टोर किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जावे। वादपत्र निस्तारण 15/2/2018 को किया गया है तथा प्रार्थी पक्ष का दिनांक 28/12/18 को किया गया है। वादपत्र प्रार्थी पक्ष के द्वारा दर्ज होने के कई रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं। अतः इसी स्थिति में वाद के निस्तारण होने पर प्रार्थी पक्ष का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी पक्ष को लिखित अधिवक्ता नहीं है। अतः प्रार्थी पक्ष को लिखित निस्तारण हुआ घोषित किया जाता है।	

सहायक कलेक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम)